

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश ईदगाह हिल्स भोपाल

क्रमांक- एक/स्था.1/47/2020/

2264

भोपाल, दिनांक - 10/5/21

//आदेश//

श्री रेवाराम सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रलाम को इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था.-1/47/2021/471 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रतलाम से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ पदस्थ किया गया था, उक्त आदेश के परिपालन में नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः इन्हें नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त किया जाता है। तत्संबंध में निर्देशित किया जाता कि वे तीन दिवस में अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापना स्थल पर दर्ज करवाकर इस प्रशासन को सूचित करना सुनिश्चित करें।

(अभिषेक दुबे)

संयुक्त नियंत्रक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक-एक/स्था.1/47/2020/

2265

भोपाल दिनांक - 10/5/21

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर राजगढ़ को आपके पत्र क्र. 3321 दिनांक 17.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रतलाम/राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला रतलाम/राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.- भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
8. श्री रेवाराम सोलंकी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतलाम की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. लेखा शाखा/स्टोर/स्थापना-1,3/वि. जांच मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ

संयुक्त नियंत्रक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्यप्रदेश